भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3260
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आगमन पर वीजा

+3260. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों की संख्या कितनी है जिनके नागरिक भारत में आगमन पर वीजा के हकदार हैं;

(ख) क्या सरकार 'आगमन पर पर्यटक वीजा सुविधा' में अधिक देशों को शामिल करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार मुफ्त पर्यटक वीजा के लिए पात्र पर्यटकों की मौजूदा 5 लाख की संख्या-सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि अब जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों के लिए भी व्यवसायिक, पर्यटन, चिकित्सा और सम्मेलन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राओं के लिए आगमन पर वीजा सुविधा दी गई है I

(ख): गृह मंत्रालय, भारत सरकार से मिली सूचना के अनुसार अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है I तथापि 156 देशों के नागरिक पर्यटन के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक वीजा ले सकते हैं I

(ग): अभी पर्यटन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है I

*****